REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 7 | APRIL - 2019

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति

चक्रपाणि त्रिवेदी[1], डॉ. गिरीश मोहन दुबे[2]
[1]शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
[2]प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी भी राष्ट्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी–कभी राष्ट्र में उपलब्ध पूंजी राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए पर्याप्त नहीं होती है। विदेशी पूँजी राष्ट्रीय बचत और निवेश के अन्तर को पूरा करती है। भारत अभी भी पूर्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो अभी तक प्राप्त किया गया था उससे कहीं अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने की क्षमता रखता है। यह अध्ययन भारत में 2001 से 2018–19 (दिसम्बर 2018) तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को दृष्टिगत किया गया है।

प्रस्तावना

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वह है जिसमें किसी देश की कम्पनी या उद्योगपति द्वारा किसी अन्य देश की कम्पनी को या तो खरीद कर या किसी अन्य देश की कम्पनी के शेयर के माध्यम से या अन्य माध्यम से व्यवयाय को बढ़ाने में सहयेाग किया जाता है। इस वैश्वीकरण के युग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विकासशील एवं विकसित देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आर्थिक विकास से सीधा संबंध है। वर्तमान में सभी विकासशील देशों के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिक से अधिक मात्रा में आकर्षित करने की होड़ लगी हुई है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नई प्रौद्योगिकी, नवीन उत्पादों, नय बाजारों के विस्तार, रोजगार के अवसर, नये कौशल की शुरूआत आदि जैसे कई लाभ प्रदान करता है जो किसी भी राष्ट्र की आय में वृद्धि को दर्शाते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ते आर्थिक वैश्वीकरण के उपायों में से एक है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए निवेश हमेशा एक गंभीर मुद्दा रहा है।

इस वैश्वीकरण के युग में सभी देश उन देशों जहाँ पूँजी प्रचुर मात्रा में है निवेश का स्वागत करने के लिए अपनी नीतियों का उदारीकरण कर रहे हैं। वे देश जो विकसित हो चुके हैं वे आज ऐसे बाजारों की खोज में लगे हुए हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में श्रम तथा उनके बनाये उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध हो तथा वे अधिक लाभ कमा सके। इसीलिए वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने की विश्व में एक होड़ सी मची है।

विदेशी निवेश भारत जैसी किसी अर्थव्यवस्था के लिए विकास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न–विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता किसी भी देश में बचत और निवेश पर निर्भर करती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बचत के बीच की खाई को पूरा करने वाले एक सेतु का काम करता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विदेशी पूँजी घरेलू बचत की बाधा को पूरा करने में मदद करती है तथा बेहतर तकनीक तक पहुँच प्रदान करती है जोकि उपलब्ध उत्पादन क्षमता की दक्षता और उत्पादकता को बढ़ावा देती है एवं नये उत्पादन अवसर उत्पन्न करती है।

पिछले दशक में भारत की सकल घरेलु उत्पाद में वृद्धि दर्ज की गई है जिससे लाखों गरीबों को गरीबी से निकाला है और देश को प्रयत्क्ष विदेशी निवेश के लिए एक पंसदीदा स्थान बनाया है। हाल ही में अंकडाट के एक सर्वेक्षण में भारत को 2010–2018 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय निगमों के लिए चीन के बाद दूसरे सबसे महत्व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले स्थान के रूप में पेश किया है। सेवायें, दूरसंचार, निर्माण गतिविधियों, कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर और आटो मोबाइल प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उच्च प्रवाह को आकर्षित किया है। मारीशस, सिंगापुर, यू.एस.ए. तथा यू.के. जैसे देश भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख निवेशकर्ता हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह मार्ग – एक भारतीय कम्पनी को दो मार्गों के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हो सकता है।

1. **स्वचलित मार्ग** – स्वचलित मार्ग के तहत अनुमति की सीमा तक क्षेत्र गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
2. **सरकारी मार्ग** – स्वचलित मार्ग के अन्तर्गत नहीं की जाने वाली गतिविधियों में प्रतयक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है– परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिवहन, कोयला एवं लिगनाइट, लोहा, मैगनीज, क्रोस, जिप्सन, सल्फर, सोना, हीरा, ताबां, जस्ता का खनन, लॉटरी व्यापार, जुआ और सट्टेबाजी, चिटफण्ड व्यवसाय, कृषि (फूलों की खेती, बागवानी, बीजों का विकास, पशुपालन, मछलीपालन और सब्जी, मशरूम की खेती कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित नियंत्रण परिस्थितियों और सेवाओं के तहत) और वृक्षारोपण गतिविधियों (चाय बागानों के अलावा), आवास और रियल एस्टेट व्यवसाय, ट्रांसफरेवल डेवलमेंट राइटस (TDRs) में ट्रेडिंग, सिगार, सिगरेट का निर्माण, तंबाकू या तबांकू के विकल्प आदि।

साहित्य की समीक्षा

जैन ममता एवं मिनल लोधाना (2012), ने 'मल्टी ब्रांड रिटेल में एफ.डी.आई. समय की आवश्यकता' शोध पत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों आमंत्रित करने के लिए खुदरा क्षेत्र का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में सुधारों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विभिन्न लाभों को दिखाया गया है जो खुदरा बिक्री में विदेशी भागीदारी के लिए सुझाव देता है। लेकिन लेखक का यह भी सुझाव है एकल ब्रांडों के लिए अधिकतम सीमा 51 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि व्यवसाय संचालन पर जांच के नियंत्रण सुनिश्चित किये जा सके।

बाबर एस.एन. और बी.वी. खेदारे (2012), ने ''वैश्वीकरण के दौरान भारत में एफ.डी.आई. की संरचना''। यह अध्ययन मुख्य रूप से वैश्वीकरण की अवधि के दौरान भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सरंचना और दिशा के बदलाव पर केन्द्रित है। यह अध्ययन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभों का विश्लेषण करता है तथा देशबार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के आधार पर किया गया है।

नीतिगत व्यवस्था, एक देश में निवेश प्रवाह को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। अंतर्निहित समग्र बुनियादी बातों के अलावा, एक देश की विदेशी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता अनिवार्य रूप से उसकी नीतिगत व्यवस्था पर निर्भर करती है – चाहे वह विदेशी निवेश प्रवाह को बढ़ावा देता हो या ना देता हो। यह खंड भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति ढांचे की समीक्षा करता है। 1990 के दशक की शुरुआत से विदेशी निवेश के लिए भारत के दृष्टिकोण में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है जब उसने अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में संरचनात्मक आर्थिक सुधार शुरू किए थे।

अ) पूर्व–उदारीकरण अवधिः

ऐतिहासिक रूप से, भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति तैयार करते समय औद्योगिकीकरण के आयात–प्रतिस्थापन रणनीति तहत अत्यंत सावधान और चयनात्मक दृष्टिकोण का पालन किया था। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 के माध्यम से समेकित नियामक व्यवस्था की गई थी , जिसमें संयुक्त उद्यम

में विदेशी इक्विटी होल्डिंग को केवल 40 प्रतिशत तक की अनुमति थी। इसके बाद, निर्यात–उन्मुख व्यवसायों, उच्च प्रौद्योगिकी और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगी विदेशी कंपनियों के लिए विभिन्न छूटों को बढ़ा दिया गया, जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक की इक्विटी होल्डिंग्स शामिल हैं। इसके अलावा, एशिया में अन्य देश के अनुभवों की सफलताओं से आकर्षित होकर, सरकार ने न केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित किए, बल्कि उदार नीति भी तैयार की और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। औद्योगिक नीति (1980 और 1982) और प्रौद्योगिकी नीति (1983) की घोषणाओं ने नीति निर्देशों में परिवर्तन के संदर्भ में विदेशी निवेशों के प्रति उदार रवैया प्रदान किया है। नीति में कुछ औद्योगिक नियमों के लाइसेंसिंग को खत्म करना और भारतीय विनिर्माण निर्यात को बढ़ावा देने के साथ–साथ पूंजीगत वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के उदारीकृत आयात के माध्यम से उद्योगों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया था। यह टैरिफ में कमी और आयात लाइसेंस से ओपन जनरल लाइसेंसिंग (ओजीएल) के लिए बड़ी संख्या में वस्तुओं के स्थानांतरण के रूप में व्यापार उदारीकरण उपायों द्वारा समर्थित था।

ब) उदारीकरण के बाद की अवधिः

एक बड़ा परिवर्तन तब हुआ, जब 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण और सुधार कार्यक्रम शुरू किया, जिसका लक्ष्य अपनी विकास क्षमता को बढ़ाना और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना था। औद्योगिक नीति में धीरे–धीरे सुधार होता है, लेकिन निश्चित रूप से एक ओर निवेश परियोजनाओं और व्यापार के विस्तार पर प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं और दूसरी ओर विदेशी प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण तक पहुंच बढ़ा दी जाती है। विदेशी निवेश को उदार बनाने की दिशा में किए गए उपायों की एक श्रृंखला में शामिल हैं:

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आरबीआई के स्वचालित और सरकार की स्वीकृति (एसआईए / एफआईपीबी) दोहरे मार्ग का परिचय।
- उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए स्वचालित अनुमति और कम प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रतिबंध को हटाने के साथ–साथ प्रौद्योगिकी आयात का उदारीकरण।
- उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और प्रवासी कॉर्पोरेट निकायों (ओसीबी) को 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति।
- मौजूदा कंपनियों के लिए विदेशी इक्विटी भागीदारी की सीमा 51 प्रतिशत है और विदेशी 'ब्रांड नाम' के उपयोग के उदारीकरण के लिए।
- विदेशी निवेश की सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) के समझोते पर हस्ताक्षर करना।
- यह प्रयास विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 (जिसने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम FERA- 1973 को प्रतिस्थापित किया) के गठन के कारण बने, जो कम कठोर था।

1997 में, भारत सरकार ने नकद और थोक में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी थी। जून,2006 में एकल ब्रांड खुदरा बिक्री में 51 प्रतिशत की अनुमति दी गई। एक लंबी बहस के बाद, दिसंबर, 2012 में और एक संशोधन किया गया, जिसने एकल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100 प्रतिशत कर दिया गया तथा बाद में एकल ब्रांड रिटेलिंग और बहु ब्रांड रिटेलिंग में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा निश्चित की गई।

शोध के उद्देश्य

- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतिगत व्यवस्था पर का अध्यन करना।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विभिन्न निर्धारकों की पहचान करना।
- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता का अध्यन करना।
- भारत में 2000–01 से 2018–19 (जून, 2019 तक) के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के रुझानों का अध्ययन करना।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कम प्रवाह से संबंधित समस्याओं की पहचान करना और भारत को अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त सुझाव देना।

अनुसंधान विधिः

अनुसंधान के प्रकारः मात्रात्मक और विश्लेषणात्मक अनुसंधान।

आंकड़ेः अध्ययन के लिए वर्ष 2000 से दिसम्बर 2018 तक विनिर्माण, सेवा और निर्माण, रियल एस्टेट, खनन क्षेत्रों आदि से संबंधित आकंड़ो को लिया गया है।

आंकड़े संग्रह विधिः द्वितीय आंकड़े का संग्रह विभिन्न वेब–साइट, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर CEDAR-USIBC की रिपोर्ट और एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट से किया जायेगा।

यह अध्ययन विभिन्न स्रोतों से प्रकाशित आंकड़ो पर आधारित है। विश्लेष्ण के लिए उपयोग में किए गए आंकड़े निम्न स्रोतों से लिए गए हैः–

- भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया।
- आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार।
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP)
- औद्योगिक सहायता का सचिवालय (SIA)
- केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO)
- अंकडाट
- विश्व निवेश रिपोर्ट

यह अध्ययन वर्णनात्मक प्रकृति का है। द्वितीय आंकड़े का संग्रह विभिन्न पत्र–पत्रिका और वेबसाइटों से एकत्र किया गया था, विशेष रूप से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से लिया गया है। सरल प्रतिशत विधि का उपयोग भारत की विकास दर को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। अध्ययन अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सांख्यिकीय आंकड़ों को दर्शाने के लिए जहां कभी भी आवश्यकता होती है, ग्राफ और टेबल का भी उपयोग किया गया है। अध्ययन की समय अवधि अप्रैल 2000 से दिसम्बर 2018 तक ली गई है।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान स्थिति –

तालिका 1

उच्चतम एफडीआई अंतर्वाहों को आकर्षित करने वाले क्षेत्र

राशि करोड़ रूपयों में (अमेरिकी डॉलर में)

क्र.	क्षेत्र	2018–19 (अप्रैल–18 दिसं 2018 तक	संचयी अंतर्वाह (अप्रैल, 2018– दिसम्बर 2018)	कुल अंतर्वाहों की प्रतिशतता (अमरीकी डॉलर में)
1.	सेवा क्षेत्र (वित्तीय एवं गैर वित्तीय)	41041 (5919)	393432 (70911)	17%
2.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	33595 (4754)	210054 (35577)	9%
3.	दूरसंचार (रेडियो पेजिंग, सेल्यूलर मोबाइल, बुनियादी टेलीफोन सेवाएं)	15713 (2290)	185625 (32448)	8%
4.	निर्माण गतिविधियां (सड़कों एवं राजमार्गो सहित)	527 (75)	188638 (24908)	6%
5.	व्यापार	15996 (2336)	128532 (20895)	5%
6.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	42531 (6059)	119909 (20660)	5%

7.	ऑटोमोबाइल उद्योग	12588 (1812)	118267 (20575)	5%
8.	औषधियां और भेषज	1491 (216)	83813 (15933)	4%
9.	विद्युत	6594 (1000)	77153 (14210)	3%
10.	आवास एवं स्थावर संपदा	10267 (1459)	88213 (14005)	3%

नोट: कोष्टक के अन्दर दी गई राशि मिलियन अमेरिकी डॉलर में हैं।

उपर्युक्त तालिका को देखने पर यह स्पष्ट होता है की एफडीआई का सबसे ज्यादा अन्तर्वाह सेवा क्षेत्र में हुआ है जो 2017 से 2018 तक के कुल अंतवाहों का 17 प्रतिशत है जबकि संचार, निर्माण गतिविधियां तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का हिस्सा लगभग समान है। इसके साथ–साथ इन 10 क्षेत्रों में सबसे कम हिस्सा रखने वाले तीन क्षेत्र, औषधियां और भेषज, विद्युत एवं आवास एवं स्थावर संपदा है। जिनका कुल अन्तर प्रवाह में हिस्सा 3 प्रतिशत है।

जो यह दिखाता है की एफडीआई का मुख्य प्रवाह सेवा क्षेत्र रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में वे आसानी से विनयोग कर सकते है जबकि अन्य क्षेत्र में विनयोग की प्रक्रिया उतनी सरल नहीं है जितनी सेवा क्षेत्र की।

1. भारतीय सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान स्थिति – देश के सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) 2017–18 में लगभग 6.7 अरब डॉलर रह गया। इससे पिछले वित्त वर्ष (2016–17) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिये निवेश 8.68 अरब डॉलर था। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) ने यह जानकारी दी गई है। सेवा क्षेत्र में वित्त, बैंकिंग, बीमा, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), कूरियर, तकनीकी परीक्षण एवं विश्लेषण शामिल हैं। सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वृद्धि दर पांच साल के निचले स्तर पर आ गयी है। वर्ष 2018 दिसम्बर तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 70.91 मिलियन डॉलर हो गया है। जो कुल प्राप्त प्रत्यक्ष निवेश का 17 प्रतिशत है।

2. भारत में निम्न प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह की समस्याएं: – भारत, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, शक्तिशाली कानून व्यवस्था और एक उच्च शिक्षित अंग्रेजी बोलने वाले कार्य बल के साथ, देश को विदेशी निवेशकों के लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। फिर भी, भारत पूर्ण रूप से वैश्विक सुधारों को लागू करने के द्वारा अपने बाजारों को पूरी तरह से वैश्विक निवेशकों को खोलने के संबंध में तमाम लगाए गए प्रतिबंधों और समस्याओं के एक समूह से पीड़ित है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में भारत के खराब प्रदर्शन के लिए कुछ प्रमुख बाधाएं हैं: राजनीतिक अस्थिरता, खराब बुनियादी ढांचा, भ्रामक कर और टैरिफ नीतियां, ड्रैकनियन श्रम कानून, भ्रष्टाचार और सरकारी फीताशाही।

3. पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी – बुनियादी ढांचे को भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में जाना जाता है। खराब बुनियादी ढांचे के रूप में यह अड़चन भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करती है। भारत की सदियों पुरानी और सबसे बड़ी बुनियादी समस्या बिजली की आपूर्ति है। बिजली कटौती को एक आम समस्या माना जाता है और कई उद्योगों को अपनाया यही कारण है कि बहुत सी कंपनी/व्यवसाय तेजी से विकास नहीं कर पाती हैं।

4. कठोर श्रम कानून – भारत में बड़ी फर्मों को श्रमिको की छंटनी की अनुमति नहीं है, या राज्य सरकार की अनुमति के बिना भी इकाई को बंद नही किया जा सकता। ये कानून श्रमिकों की रक्षा करते हैं और व्यापार के पुनर्गठन के लिए वैध प्रयासों को विफल करते हैं। अनावश्यक श्रमिकों की छंटनी के लिए, फर्मों को कर्मचारियों और राज्य सरकारों–दोनों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिसे शायद ही कभी स्वीकृति दी जाती है। इसके अलावा, ट्रेड यूनियनों ने अत्यधिक उदार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के माध्यम से कंपनियों से भारी रकम वसूली जाती है जो एक लाभ कमाने का उद्देश्य रखने वाली कंपनी कभी स्वीकार नहीं करती।

5. भ्रष्टाचार – रक्षा से लेकर गरीब लोगों को सबसिडी वाले भोजन के वितरण एवं बिजली उत्पादन से हस्तांतरण तक लगभग हर सार्वजनिक सेवा में भ्रष्टाचार पाया जाता है। कानूनी बाधाओं के संयोजन, संस्थागत सुधारों की कमी, नौकरशाही और शीर्ष पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने से दूर कर दिया है।

6. राज्य सरकारों के साथ निर्णय लेने के अधिकार का अभाव – अर्थव्यवस्था को उदार बनाने की सुधार प्रक्रिया मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पास केंद्रित होती है, राज्य सरकारों को अधिक शक्ति नहीं दी जाती है। अधिकांश प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहते है। ब्राजील, चीन और रूस ऐसे उदाहरण हैं जहां क्षेत्रीय सरकारें केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे सुधार कार्यो को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाती हैं। पर भारत में अभी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में केन्द्र व भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी व सहमति की आवश्यकता होती है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई होती है।

7. निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों के सीमित पैमाने – भारत के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में कई कारणों से गतिशीलता की कमी हैद्य जैसेकि, उनके अपेक्षाकृत सीमित पैमाने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के बारे में सरकार की सामान्य महत्वाकांक्षा, ज़ोन से जुड़े अस्पष्ट और बदलते प्रोत्साहन पैकेज एवं क्षेत्रों के नियमन में केंद्र सरकार की शक्ति। भारत जिसने 1965 में अपना पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) स्थापित किया, वह चीन की तुलना में क्षेत्रों को विकसित करने में विफल रहा है।

8. उच्च निगम कर की दरें – भारत में विदेशी कंपनियों के लिए निगम कर की दर 48 प्रतिशत होती है परन्तु पूर्वी एशिया में निगम कर की दरें आम तौर पर 15 से 30 प्रतिशत के बीच होती हैं। उच्च निगम कर की दर निश्चित रूप से भारत में विदेशी निवेश को हतोत्साहित करती है।

9. अनिश्चित सरकार और राजनीतिक अस्थिरता – पिछले दो दशकों के दौरान सरकार की ओर से बहुत सारी विसंगतियाँ थीं और वे अभी भी भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रत्यक्ष प्रवाह को प्रभावित कर रहे हैं जैसे कि विभिन्न कंपनी द्वारा कुप्रबंधन और उत्पीड़न, जो देश की छवि को प्रभावित करते हैं और भावी निवेशक एवं उन निवेशको को प्रभावित करते है जो निवेश पर सुरक्षा और निरंतर वापसी के बारे में बहुत जागरूक है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निर्धारक

अद्वितीय विशेषताओं और संभावित निवेशकों के लिए अवसरों के कारण प्रत्येक देश में भिन्न–भिन्न निर्धारक हैं–

1) स्थिर नीतियां – भारत की स्थिर आर्थिक और सामाजिक नीतियों ने सीमा पार निवेशकों को आकर्षित किया है। निवेशक उन देशों को पसंद करते हैं जो स्थिर आर्थिक नीतियां रखते हैं। यदि सरकार निवेशक के खिलाफ नीतियों में बदलाव करती है, तो इसका निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

2) आर्थिक कारक – विभिन्न आर्थिक कारक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। इनमें ब्याज ऋण, टैक्स ब्रेक, अनुदान, सब्सिडी और प्रतिबंधों और सीमा को हटाना शामिल हैं। भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों को कई कर छूट और सब्सिडी दी है जो अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद करतें है।

3) सस्ता और श्रम – कुशल और अकुशल मानव संसाधनों के मामले में भारत में प्रचुर मात्रा में श्रम उपलब्ध है। विदेशी निवेशकों को श्रम की लागत में अंतर का लाभ उठाना होगा क्योंकि हमारे पास सस्ते और कुशल मजदूर हैं। उदाहरणः विदेशी कंपनियों ने भारत में बीपीओ में निवेश किया है जिसके लिए कुशल श्रम की आवश्यकता होती है और भारत के पास बड़ी संख्या में सस्ता श्रम उपलब्ध है है जिसका लाभ निवेशक ले सकते हैं।

4) बुनियादी ढांचा – भारत हालांकि एक विकासशील देश है, इसने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया है, जहाँ सड़कों, परिवहन और दुनिया भर के लिए पंजीकृत वाहक प्रस्थान, सूचना और संचार तंत्र/प्रौद्योगिकी, बिजली, वित्तीय संस्थानों और कानूनी प्रणाली और अन्य जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो कि व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है ।

5) अस्पष्टीकृत बाजार – भारत में, निवेशकों के लिए विस्तार की अनेक सम्भवनायें है क्योंकि बाजारों का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त है। भारत में, एक बड़े मध्यवर्गीय आय समूह के साथ विशाल संभावित ग्राहक बाजार है जो नए बाजारों के लिए लक्षित समूह होगा। उदाहरणः बीपीओ एक ऐसा क्षेत्र था, जहां निवेशकों के पास उन

बाजारों की खोजबीन करने का एक बड़ा क्षेत्र था जहां सेवा सिर्फ एक कॉल के साथ प्रदान की जाती थी, जिससे ग्राहक लगभग संतुष्ट हो जाते थे।

6) प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता – जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, लौह अयस्क, प्राकृतिक गैस आदि की बड़ी मात्रा है। यदि प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं तो उनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में या विदेशी निवेशकों द्वारा खानों के निकास के लिए किया जा सकता है।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता

भारत एक विकासशील देश है, पूंजी उन दुर्लभ संसाधनों में से एक है जो आमतौर पर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। पूंजी सीमित है और इसमें स्वास्थ्य, गरीबी, रोजगार, शिक्षा, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी अप्रचलित, वैश्विक प्रतियोगिता जैसे कई मुद्दे हैं। दुनिया भर से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह से सस्ती लागत, बेहतर प्रौद्योगिकी, रोजगार सृजन और उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में धनराशि प्राप्त करने में मदद मिलेगी, घरेलू कंपनियों के लिए अधिक व्यापार, और लिंकेज की गुंजाइश अधिक होगी। निम्नलिखित तर्क विदेशी पूंजी के पक्ष में उन्नत हैं।

1) निवेश के उच्च स्तर को बनाए रखना – अल्प–विकसित और विकासशील देश खुद का औद्योगिकीकरण और विकसित करना चाहते हैं, इसलिए निवेश के स्तर को काफी हद तक बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। गरीबी और निम्न जीडीपी के कारण बचत कम है। इसलिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से आय और बचत के बीच के अंतराल को भरने की जरूरत है।

2) तकनीकी अंतराल – भारतीय परिदृश्य में, हमें विशेषज्ञ सेवाओं, भारतीय कर्मियों के प्रशिक्षण और उद्योग में शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रावधान के लिए एक विदेशी स्रोत से तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। यह केवल निजी विदेशी निवेश या विदेशी सहयोग के माध्यम से आता है।

3) प्राकृतिक संसाधनों का दोहन – हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कोयला, लोहा और इस्पात लेकिन उन संसाधनों को निकालने के लिए हमें विदेशी सहयोग की आवश्यकता होती है क्योंकि उनको निकालने के लिए मंडीयों व तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है।

4) प्रारंभिक जोखिम की समझ – विकासशील देशों में पूंजी एक दुर्लभ संसाधन है, औद्योगीकरण के लिए नए उपक्रमों या परियोजनाओं में निवेश का जोखिम अधिक है। इसलिए विदेशी पूंजी इन निवेशों में मदद करती है जिनमें उच्च जोखिम की आवश्यकता होती है।

5) आधारभूत आर्थिक ढांचे का विकास – हाल के वर्षों में विदेशी वित्तीय संस्थानों और उन्नत देशों की सरकार ने विकसित देशों को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश के विभिन्न हिस्सों की स्थापना करके बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद करेगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं जो सरकार द्वारा औद्योगिक विकास में सुधार लाने के लिए विकसित किए गए हैं।

6) भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार – प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आंतरिक प्रवाह से भुगतान संतुलन में सुधार लाने में मदद मिलेगी। जिन फर्मों को लगता है कि भारत में उत्पादित वस्तुओं की कम लागत होगी, वे भारत में माल का उत्पादन करेंगे और दूसरे देश को निर्यात करेंगे। इससे निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।

7) प्रतियोगिता बढ़ाने में विदेशी फर्म की मदद – विदेशी फर्म हमेशा घरेलू कंपनियों के साथ बेहतर प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया और नवाचारों के साथ आती हैं। वे एक प्रतियोगिता विकसित करते हैं जिसमें घरेलू फर्म को बाजार में बने रहने के लिए बेहतर प्रदर्शन करना पड़ता है इसका परिणाम यह होता है कि वे भी अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान देती है और उपभोक्ताओं को बेहतर वस्तुयें प्राप्त होती हैं।

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विगत कई वर्षों से सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह सबसे अधिक बना हुआ है। तथा देशों में मारीशस सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह करने वाला देश है क्योंकि यहां से भारत दोहरी कर प्रणाली में छूट प्रदान की गई है। साथ ही ज्यादातर देश भारत के सेवा क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं।

संदर्भ –

- अजहर, एस., मारीमुथु, के.एन. (2012), भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अवलोकन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट स्टडीज, 2 (1), 202–214
- महाजन, डी. (2008), भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उसकी क्षमता के अनुसार नहीं, द इकोनॉमिक चैलेंजर, 41 (11), 59–63।
- साहनी, पी. (2012), भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रुझान और निर्धारकः एक अनुभव जन्य जांच। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी, 2 (8), 144–161
- रामचंद्रन, ए., कविता, एन., वेनी, एन.के. (2008), विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और आर्थिक परिदृश्य, द इकोनॉमिक चैलेंजर, 39 (10), 43–49
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, (अप्रैल 2018 से जून 2018 Industrial) वार्षिक रिपोर्ट।
- औद्योगिक सहायता के लिए सचिवालय द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नियमावली (DIPP)
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) (2010–18) के प्रेस नोट।
- भारतीय रिजर्व बैंक (2018), मासिक बुलेटिन
- UNCTAD (2018), विश्व निवेश रिपोर्ट

LBP PUBLICATION